

न्यायालय उप जिलाधिकारी सोहावल-फैजाबाद।

माद नं० 24/11

अन्तर्गत धारा-143जेड0ए0वेट
ग्राम-हाजीपुर सिंहपुर, परगना मंगलरी
तहसील-सोहावल, जिला-फैजाबाद।

श्रीमती अर्चना शर्मा-बनाम-सरकार

--निर्णय--

श्रीमती अर्चना शर्मा पत्नी श्री देवेन्द्र शर्मा, नि० पूरे समाधान तहसील गिलकोपुर जिला-फैजाबाद ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह भूमि गाटा संख्या-281/1366 हे० स्थित ग्राम हाजीपुर सिंहपुर, परगना मंगलरी, तहसील सोहावल जिला-फैजाबाद की संकगणीय भूमिधर मालिक व स्वामी है। सक्त भूखण्ड का एक से बाउण्ड्री से घिरा है तथा कुछ भाग में मकान भी बन चुका है। उक्त भूखण्ड को अकृषिक प्रयोजना व आबादी के रुध में प्रयोग में लाया जा रहा है। अतएव उक्त भूखण्ड को अकृषिक प्रयोजन हेतु आबादी प्रख्यापित कर दिया जाय।

उक्त प्रस्ताव तहसीलदार सोहावल को जाँच हेतु प्रेषित की गयी। तहसीलदार द्वारा आख्या संख्या-135 ए पर आख्या प्रेषित की गयी, जिसमें यह कहा गया कि गाटा संख्या-281/1366 हे० स्थित ग्राम हाजीपुर सिंहपुर परगना मंगलरी, तहसील सोहावल जिला-फैजाबाद आवेदिका के नाम संकगणीय भूमिधर दर्ज है। आवेदित गाटा के आंकड़ों के अनुसार गाटा में आबादी हो चुकी है और ग्राम पर निर्माण चल रहा है। पूरा क्षेत्रफल चहारदीवारी से घिरा है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतएव प्रश्नगत भूखण्ड को आबादी प्रख्यापित कर दिया जाय।

उक्त आख्या प्राप्त होने पर ग्रामसभा/शासकीय अधिकता को नोटिस भेजा गया जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी भी तरफ से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

उक्त पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी 1415-1420 फ० वावत खतौनी संख्या-82 की गाटा संख्या-281, तहसीलदार की आख्या, उद्धरण खसरा, प्रश्नगत भूमिधर पर प्रस्तुत नजरी नक्शा का अवलोकन किया। आवेदिका गाटा संख्या 281/1366 हे० स्थित ग्राम हाजीपुर सिंहपुर, परगना मंगलरी, तहसील सोहावल जिला-फैजाबाद की संकगणीय भूमिधर है। उ०प्र०जे०वि०अ०ध० की धारा-143 में यह व्यवस्था दी गयी है कि स्वामि स्वामि अपनी भूमि व उसके किसी भाग का प्रयोग कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन में उपयोग कर रहा है, तो उक्त अंश को अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित कर दिया जाय। तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। आवेदित गाटा के आंकड़ों के अनुसार गाटा में आबादी हो चुकी है। और निर्माण कार्य चल रहा है। पूरा क्षेत्रफल चहारदीवारी से घिरा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड को अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जा रहा है। कोई आपत्ति नहीं है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर ग्रामसभा द्वारा उपरोक्त होकर इस आख्या का लिखित उत्तर दिया गया है। अतएव प्रश्नगत वाद में जो आपत्ति प्रस्तुत करने का समय बाधा गया था, उसे

11/11/2016
S. A. Chaudhary
Sub-Collector
Fatehgarh

8/12/16

P90